तामील हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल जज
17/12/20 बोल लाडूलाल	अभि० वादी उप० साक्ष्य वादी में गवाह बोल लाडूलाल के बयानात करवाये। शामिल रहे। बहस की गई जो मुख्य रूप से वाद पत्र के अनुसार रही। वादी का कथन है कि साबिक खसरा नम्बर 1914 रकबा 3:10 बीघा व ख. नं. 1896 रकबा 0:15 बीघा में ग्राम लाम्बाकलां तहसील टोडारायसिंह जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र वादीगण के पिता पति ने क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है जिसके हाल राजस्व रिकार्ड में हाल खसरा नम्बरें 2322 रकबा 0.89 हे० व 2306 रकबा 0.19 हे० मिलान क्षेत्रफल में बनना बताया गया है। हाल खसरा नम्बर 2322 रकबा 0.89 हे० तो सेटलमेन्ट कर्मचारियों ने वादीगण के नाम दर्ज करके पर्चा खतौनी जारी कर दिया और साबिक ख. नं. 1896 रकबा 0:15 बीघा से बने हाल ख. नं. 2306 रकबा 0.19 हे० की खातेदारी प्रतिवादी नं. 1 के नाम गलत रूप से दर्ज कर दी जबकि साबिक जमाबंदी संख्या 198 सम्वत 2038 से 2041 में नामान्तरकरण संख्या 676 से सम्पूर्ण ग्राम लाम्बाकलां से प्रतिवादी नं. 1 के नाम आराजी 4:05 बीघा की खातेदारी वादीगण के स्वर्गीय पिता के नाम अंकित हो गई थी। सेटलमेन्ट विभाग से जो राजस्व रिकार्ड प्राप्त हुआ उसमें वादीगण के पिता के नाम दर्ज साबिक आराजी ख. नं. 1914।। रकबा 3:10 बीघा व ख. नं. 1896 रकबा 0:15 बीघा कुल किता 2 रकबा 4:05 बीघा में से ख. नं. 1914।। से बने हाल ख. नं. 2322 रकबा 0.89 हे० की खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज करके पर्चा खतौनी दर्ज कर दिया व वादीगण के नाम दर्ज कर दिया। ख. नं. 2306 रकबा 0.19 हे० को नामान्तरण संख्या 676 के अंकन को नजर अन्दाज करते हुए वापस प्रतिवादी नं. 1 की खातेदारी में दर्ज कर दिया इसलिए वादीगण ख. नं. 2306 रकबा 0.19 हे० की खातेदारी वादीगण अपने नाम घोषित करवाने के अधिकारी है। उक्त आराजी पर वादीगण के पिता पति को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय कर कब्जा वादीगण के पिता पति को सुपुर्द कर दिया था तब से आज तक वादीगण अपनी खरीद शुदा आराजी को काश्त कर अपने उपयोग उपभोग में लेते चले आ रहे हैं। अतः दावा वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर साबिक आराजी खसरा नं. 1896 रकबा 0:15 बीघा से बने हाल खसरा नम्बर 2306 रकबा 0.19 हे० वाके ग्राम लाम्बाकलां तहसील टोडारायसिंह के वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाये जाकर रिकार्ड राजस्व में अमल कराया जावे। तथा प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि

कि वो स्वयं जरिये किसी नौकर-चाकर एजेन्ट प्रतिनिधि हाली सीरी बगै० के आराजी खसरा नम्बर 2306 रकबा 0.19 हैं० व ख.नं. 2322 रकबा 0.89 हैं० किता 2 रकबा 1.08 हैं० वाके ग्राम लाम्बाकलां तहसील टोडारायसिंह में वादीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी में जबरन बेजा-मजाहमत नहीं करें। काश्त करने से मना नहीं करें, जबरन बेदखल नहीं करें। वादीगण को किसी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचावें।

बादवादीगण पेश होने पर तलबी प्रतिवादीगण जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादी नं. 2 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आया, इसलिए कार्यवाही एकतरफा की गई। प्रतिवादी नं. 1 ने जवाब पेश कर वाद पत्र को नकारा तथा दिनांक 15/12/2020 को प्रतिवादी नं. 1 व उसके अभि० को बार 2 आवाजें लगवाने पर भी उपस्थित नहीं आये इसलिए कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई गई। प्रतिवादी नं. 3 ने उपस्थित होकर इकबालिया जवाब पेश किया।

वादीगण ने वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी खाता संख्या 186 जमाबंदी सम्वत 2069 से 2072 प्रदर्श 1, खाता संख्या 371 प्रदर्श 2, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 3, जमाबंदी सम्वत 2038 से 2041 प्रदर्श 4, नकल विक्रय पत्र बालू पुत्र नारायण जाति बलाई निवासी भण्डा तहसील टोडारायसिंह बहक हरजी पुत्र नारायण जाति बैरवा निवासी लाम्बाकलां तहसील टोडारायसिंह दिनांक 22/06/1983 प्रदर्श 5, नकल नामान्तकरण संख्या 676 वाके ग्राम लाम्बाकलां प्रदर्श 6 पेश किये तथा बयानात वादी रोडू पुत्र हरजी बैरवा, गवाह बालू पुत्र लाडू खटीक, गवाह लाडू पुत्र रूपा बैरवा के करवाये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1914/1 रकबा 3:10 बीघा व ख.नं. 1896 रकबा 0:15 बीघा वाके ग्राम लाम्बाकलां मुताबिक जमाबंदी सम्बत 2038 से 2041 (2038 – 2041) प्रदर्श 4 के अनुसार बालू पुत्र नारायण जाति बलाई निवासी भण्डा तहसील टोडारायसिंह के नाम दर्ज थी, जिसे दिनांक 22/6/1983 को खातेदार बालू बलाई द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र वादीगण के पिता-प्रति

उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह (टोंक)

तामील हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल जज
	हरजी पुत्र नारायण जाति बैरवा सा० लामबा को विक्रय किया गया विक्रय पत्र प्रदर्श 5 से प्रमाणित है। उक्त विक्रय पत्र की पालना में नामान्तकरण संख्या 676 के ग्राम लामबा प्रदर्श 6 के अनुसार मय कब्जा तस्दीक किया जा चुका था। दौराने भू प्रबन्ध साबिक ख०नं० 1914 से ख०नं० 2322/0.89 बनना तथा ख०नं० 1896 से ख०नं० 2306/0.19 बनना मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 3 से साबित है। भू-प्रबन्ध द्वारा साबिक से बने हाल खसरा नम्बरान में से ख०नं० 2322 रकबा 0.89 है० को मुताबिक जमाबंदी खतौनी सं० 371 सम्बत 2069-72 प्रदर्श 2 के अनुसार वादीगण के नाम सही रूप से दर्ज कर दिया लेकिन ख०नं० 2306 रकबा 0.19 है० को मुताबिक जमाबंदी खतौनी सं० 186 सम्बत 2069 से 2072 प्रदर्श 1 के अनुसार गलत तौर पर नापस विक्रेता (प्रतिवादी नं०) बालू पुत्र नारायण बलाई के नाम दर्ज कर दिया। जबकि उक्त आराजी को तो बालू पुत्र नारायण बलाई द्वारा दि० 2/6/1983 को ही जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र वादीगण के पिता प्राप्ति हरजी पुत्र नारायण जाति बैरवा को विक्रय कर कब्जा संभला दिया गया था। जिसका नामा० सं० 676 भी मय कब्जा तस्दीक हो चुका था। ख०नं० 2306 रकबा 0.19 है० नापस प्रति नं० 1 (विक्रेता) के नाम गलत रूप से दर्ज हुई है। वादीगण उक्त आराजी की घोषणा खातेदारी अपने नाम घोषित करवाने के हकदार है। प्रतिवादीगण नं० 1, 2 के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही एकतरफा हो चुकी है तथा प्रतिवादी नं० 3 ने इकबालिया जवाब पेश कर वाद पत्र की ताईद की है। गवाहान के बयानात के आधार पर प्रतिवादीगण उपरोक्त वादग्रस्त आराजियात में वादीगण

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	के कब्जे काश्त में अनावश्यक दखल देना जाहिर है इसलिए वादीगण को अपने खातेदारी अधिकारों की सुरक्षा हेतु प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने का कानूनन पूर्ण अधिकार है। अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 2306 रकबा 0.19 हैo हैo वाके ग्राम लाम्बाकलां तहसील टोडारायसिंह के वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। तदनुसार रिकार्ड राजस्व में अमल हो तथा प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि वे स्वयं अथवा किसी नौकर चाकर एजेन्ट प्रतिनिधि, हाली, सीरी वगैo के आo खo नं 2306 रकबा 0.19 हैo, 2322 रकबा 0.89 हैo किता 2 रकबा 1.08 हैo वाके ग्राम लाम्बाकलां तहo टोडारायसिंह में वादीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी में जबरन बेजामजाहमत नही करें। काश्त करने से मना नहीं करें, जबरन बेदखल नहीं करें। वादीगण को किसी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचावें। पर्चा डिक्री मुर्तब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। हुक्म आज खुले न्यायालय में सुनाया गया। (श्याम सुन्दर चेतीवाल) उपखण्ड अधिकारी R टोडारायसिंह (टोंक) उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह	